OFFICE OF DIRECTOR (LAND COSTING WING) B, BLOCK VIKAS SADAN, DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

File No. F2(14)2017-18/AO(P)/DDA/ 3 4

Dated 29.05.2018

To

Dy. Director (Arch.) Coordn. 8th Floor, Vikas Minar, DDA

Revised modalities for Operationalization of Enhanced FAR in Planned Sub:-Commercial Centres.

Kindly refer to your office letter No. Dy. Dir. (Arch)Coordn./HUPW/DDA/2018-19 dated 7.5.2018 on the subject cited above, whereby this office has been requested to upload the rates of additional FAR charges and processing fee on DDA's web site. In this connection, it is to intimate that the rates for additional FAR for commercial properties (excluding hotel and parking plots) as notified vide S.O. No. 2955(E) dated 23.12.2008 are already available on web site under E Gazette of India and being uploaded at DDA web site (copy Enclosed). However, the proposal to revise these rates has already been taken vide Agenda item No. 05/2018 in the Authority meeting held on 27.2.2018 and forwarded to Ministry of Housing & Urban Affairs for final approval/notification vide this office letter F 2(14)2017-18/AO(P) on 5.3.2018 (Copies enclosed). The same is yet to be approved/notified by MoHUA. So far as processing fee is concerned the same may be finalized at your end depending upon the administrative cost and other relevant factors, if any.

Dy. CAÓ)LC) - I

Copy to

OSD to VC/DDA for kind information of the latter.

2. PS to FM for kind information of the latter.

3. Chief Architect

A. Director (System) to upload the Gazette Notification No. 2955(E) dated 23.12.2008 on DDA web site of the second control of the second co 23.12.2008 on DDA web site which can be easily accessible.

Dy. CAO)LC) - I

te of India The Gazett

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1792]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2008/पौष 2, 1930

No. 1792]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2008/PAUSA 2, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2008

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के कारण बढ़े हुए एफ.ए.आर. के लिए उपयोग परिवर्तन, मिश्रित भूमि उपयोग और अन्य प्रभारों के लिए लागू की जाने वाली दरों का निर्धारण ।

का.आ. 2955(अ).—संख्या का.आ. 2432(अ) दिनांक 10 अक्तूबर, 2008 के अनुपालन में एवं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निप्नलिखित विनियम बनाता है :---

क्रम सं.	. मद	सिफारिश
1.	(क): आवासीय सम्पत्तियाँ	दिनांक 20-11-2006 की अधिसूचना
	मिश्रित उपयोग के अंतर्गत	के अनुसार, जो 2006-07 के लिए
	बेसमेंट सहित—सुधार प्रभार	लागू थीं उसे 2007-08 के लिए
	के भुगतान/नए निर्माण हेतु	
	अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों	. ,
	और अनधिकृत निर्माण के	
	नियमन के लिए जुर्माने/	
	संघटन/विशेष संघटन शुल्क	
	के भुगतान की दरें।	

दिनांक 20-11-2006 की अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित दरें, जो वर्ष 2006-07 के लिए लागू थीं, वर्ष 2007-2008 के

दर प्रति वर्ग मी.(रुपयों में)

लिए लागू की जाएगी, जो निम्नानुसार हैं :--(1) नया निर्माण कार्य :--3500/-₹. ए एवं बी कालोनियौँ 1400/-₹. सी एवं डी कालोनियाँ

ई. एफ एवं जी कालोनियाँ 50 वर्ग मी. से अधिक के आकार के प्लॉट वाली 700/-₹. ई, एफ एवं जी कालोनियाँ 50 वर्ग मी. तक के आकार के प्लॉट वाली 490/-₹

(2) अनिधकृत निर्माण-कार्य का नियमन :-(क) संस्वीकृत ऊँचाई के अंदर अतिरिक्त कवरेज

4020/-रु. ए एवं बी कालोनियाँ 1610/-₹. सी एवं डी कालोनियाँ ई एफ एवं जी कालोनियाँ 50 वर्ग मी. से अधिक के आकार के प्लॉट वाली 805/-रु.

ई एफ एवं जी कालोनियाँ 50 वर्ग मी. तक के आकार के प्लॉट वाली 564/-₹. (ख)संस्वीकृत से अधिक परंतु अनुमेय ऊँचाई

(23.7.98 के अनुसार) के अंदर अतिरिक्त कवरेज ए एवं बी कालोनियाँ 4375/-रू.

1	-			सी एवं डी कालोनियाँ 1750 / – रु.
			·	ई., एफ. एवं जी. कालोनियाँ 50 वर्ग मी.
		. •	2,	से अधिक के आकार के प्लॉट वाली
	*	}	·	875 ∕ −₹.
				ई., एफ. एवं जी. कालोनियाँ 50 वर्ग मी.
1		,		
J	ì			तक के आकार के प्लॉट वाली
٠.	1			613 ∕ − ₹.
1				(ग) 23.07.98 के अनुसार अनुमेय ऊँचाई
1				से अधिक लेकिन 15 मी. के अंदर
-1				अतिरिक्त कवरेज
				ए एवं बी कालोनियाँ 4900 / - रु.
1	j			सी. एवं डी. कालोनियाँ 1960 / -रु.
1	}			ई., एफ. एवं जी. कालोनियाँ 50 वर्ग मी.
			:	से अधिक के आकार के प्लॉट वाली
				, **
			,	980 / −₹.
1	1			ई., एफ. एवं जी कालोनियाँ 50 वर्ग मी.
1				तक के आकार के प्लॉट वाली
			<i>(*</i>	686 / −₹.
		(ख) आवासीय	प्रभार वही होंगे, जो	संस्वीकृत से अधिक किंतु अनुमेय ऊँचाई
	ł	सम्पत्तियाँ मिश्रित		(23.7.98 के अनुसार) के अंदर अतिरिक्त
	ł	उपयोग के अन्तर्गत		कवरेज के लिए दरें-प्लॉट पर अतिरिक्त
1	_	बेसमेंट सहित ।	हैं।	अनुमेय क्षेत्र के परिणामस्वरूप
1	İ	वतन्य ताहरा ।	0 1	
	1			व्यावसायिक / वाणिज्यिक कार्यों के लिए
1				तहखाने का उपयोग
1				ए एवं बी कालोनियाँ 4375/-रु.
١		+1 · · · · ·	,	सी एवं डी कालोनियाँ 1750/-रु.
	No.			ई., एफ. एवं जी कालोनियाँ (50 वर्ग मी.
) से अधिक के प्लॉटों के लिए)
	and the state of	Application -		875 / - रु. ई., एफ. एवं जी कालोनियाँ
				(50 वर्ग मी. तक के प्लॉटों के लिए)
		,		613 ∕ −₹.
	1			आवेदक को एफ.ए.आर. प्रभारों के
		1,		
			,	अलावा मिश्रित भूमि उपयोग प्रभारों का
		(-) AA .	4	भुगतान करना होगा ।
	2	(ग) दि.वि.प्रा. द्वारा		
		आबंटित सहकारी समूह		समान ।
		आवास सोसायटियों के	अधिसूचना दिनांक 20.11.	
		लिए अतिरिक्त एफ.ए.		
		आर. प्रभार ।	अंतर्गत आवासीय	
			सम्पत्तियों की दरों की	
			समतुल्य दरें।	
	3	(घ) नई दिल्ली नगर		चगा विर्माण करने
	<u> </u>	17 व विष्या नगर	ायल्ला नगर निगम का	नया ।नमाण काय-

पालिका परिषद के आवासीय क्षेत्रों के लिए सुवार प्रमार / अर्जी की -कालोनियों को तर के सममुल्य । अनियेकृत निर्माण का विनियमन—(क्र) सरवीयकृत केंग्रंड के अंदर अतिरिकत फूमार / विशेष संघटन प्रमार की दरें । (ह) व्यावसायिक संघटन प्रमार को कर्ज प्रतिरिक्त कर्यक अउनुसार अनुमेय ऊँचाई से अधिक करोकन 15 मी. के अंदर अतिरिक्त एफ.ए.आर. को कर्ज प्रतिरिक्त एफ.ए.आर. को कर्ज प्रतिरिक्त एफ.ए.आर. को कर्ज प्रतिरिक्त एफ.ए.आर. के अनुसार अनुमेय ऊँचाई से अधिक करोकन 15 मी. के अंदर अतिरिक्त एफ.ए.आर. को कर्ज प्रतिरिक्त एफ.ए.आर. को कर्ज प्रतिरिक्त एफ.ए.आर. के अनुसार अनुमेय ऊँचाई से अधिक करोकन 15 मी. के अंदर अतिरिक्त एफ.ए.आर. को कर्ज प्रतिरिक्त एफ.ए.आर. के प्रतिरिक्त एफ.ए.आर. के अनुस्तर अविक्रम कर्ज कर्ज अवनुसार अनुमेय ऊँचाई से अधिक करोकन 15 मी. के अंदर अतिरिक्त एफ.ए.आर. को क्षाचीयिक एलंटों को के 50 प्रतिशत से । क्षाचन की महं विशेष पर्व चेतियों के अनुस्तर अवनिय्त एफ.ए.आर. के अनुस्तर एक.ए.आर. के अनुस्तर, अधिक एफ.ए.आर. के अनुस्तर पर्व के उच्चतन की महं विशेष पर्व चेतियों के अव्यवत्त की महं विशेष पर्व चेतियों के अव्यव्त की महं विशेष पर्व चेतियों के अव्यव्व विशेष पर्व चेतियों के अव्यव्व चेतियों के विशेष प्रमार की सिफारिश नहीं की महं विशेष प्रमार की सिफारिश नहीं की महं वेतियों पर्याम परिवर्तन प्रमार की सिफारिश नहीं की महं वेतियों पर्याम परिवर्तन प्रमार की सिफारिश नहीं की महं वेतियों परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार हों मध्य विभाग की व्यवसायिक कार्यकलापों के लिए कार्यकलापों के कार्यकलापों के लिए कार्यकलापों के लिए कार्यकलापों के लिए कार्यकलापों के कार्यकलापों कार्यकलापों के कार्यकल				
ज्ञावासीय क्षेत्रों के लिए बुबार प्रभार /अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार बुक्क और जुनां / संघटन प्रभार /विशेष संघटन प्रभार विशेष संघटन प्रभार की दरें । (ह) व्यावसायिक तेत्र वात्र की गई के 50 प्रतिशत से । (ह) व्यावसायिक तेत्र अतिरिक्त एफ. एफ.ए.आर. के 50 प्रतिशत से । हेतु अतिरिक्त एफ.ए.आर. के अनुक्त, अध्यतन की गई पिछली जोनल औसत नीलामी दर (जैड.ए.ए.आर.) का 50 प्रतिशत निक्षा किए। ए.आर. प्रभार प्रभार अस्पताल प्रजाटों सहित । (ह) सांस्थानिक प्रजाटों के लिए अतिरिक्त एफ. प्रभार प्रभार अस्पताल प्रजाटों सहित । (ह) सांस्थानिक प्रजाटों के लिए आर्विश्वत एफ. ए.आर. प्रभार अस्पताल प्रजाटों सहित । (ह) सांस्थानिक प्रजाटों के लिए आर्विश्वत एफ. प्रभार प्रभार अस्पताल प्रजाटें सहित । (ह) सांस्थानिक प्रजाटों के लिए अतिरिक्त एफ. प्रभार जिल्लामी के आवादित की अध्यतन की गई जोनल सांत्र वेद के 50 प्रतिशत सं यह जन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है। (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए प्रभार संस्तुत नहीं है। (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए प्रभार चर्यनाम। औद्योग दर्म पर्च पर्वासायिक कार्यकलापों के लिए प्रभार चर्यनाम। अध्योगिक दर का 25 प्रतिशत	•	गालिका परिषद के	'ए' श्रेणी की बंकालोनियों	3500 / −₹.
चुवार प्रभार /अतिरिक्त एक अंतर अतिरिक्त एक ए.आर. प्रमार शुरुक और जनीने / संघटन प्रमार / शियो संघटन प्रमार शियो संघटन प्रमार शियो संघटन प्रमार की दरें । (इ) व्यावसायिक क्ष्मप्तियों (इंटलों और पार्किग प्रतिरंदों को अंदर अतिरिक्त क्षम्प्रक श्रे अनुसार अनुमेय ऊँचाई (23.07.98 के अनुसार अनुमेय ऊँचाई से अधिक लेकिन 15 मी. के अंदर अतिरिक्त क्ष्मपेक लेकिन 15 मी. के अंदर अतिरिक्त क्ष्मपेक लेकिन 15 मी. के अंदर अतिरिक्त क्ष्मपेक लेकिन 15 मी. के अंदर अतिरिक्त एक ए.आर. के अनुकर्ण, अदातन की गई के 50 प्रतिशत निवारिक क्षम्पतियों के किए अतिरिक्त एक ए.आर. प्रमार । (इ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एक ए.आर. के अनुकर्ण, अदातन की गई पिछली जोनल औसत नीलामी दर (उंड.एए.आर.) का 50 प्रतिशत निवारित किया जाना है । (इ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एक ए.आर. प्रमार अस्पताल प्लॉटों सिहत । (इ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए आंद्रीरिक्त क्षम्पक्तियों के लिए लोगू नहीं है जिन्हें 1/~5. की दर से मूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए एमें अमेर संस्तृत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सिहत पर्मार संस्तृत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सिहत पर्मार के विरार मूमार संस्तृत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सिहत पर्मार के अनुस्था के अदर अतिरिक्त करण 4900/~5. (त) प्रमार अस्पताल के 11 मूमार संस्तृत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सिहत पर्मार संस्तृत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सिहत पर्मार के उच्चेतियों के स्थान के अवर अतिरिक्त क्ष्मपेक विरार के अवर अतिरिक्त के अनुसार अनुमेय उच्चेतियों के अतिरिक्त करण 4900/~5. (इ) संस्वीकृत से अधिक परंतु अनुमेय उच्चेतिया के अतिरिक्त करण 4900/~5. (त) प्रमार पर्चारों के उच्चेतिया के किए प्रमार के अनुसार के अनुसार अनुमेय उच्चेतिया के किए प्रमार के उच्चेतिया के अनुसार अनुसार के उच्चेतिया के उच्चेतिया के अनुसार अनुसार के उच्चेतिया के उच्चेतिया के अनुसार अनुसार के उच्चेतिया के अनुसार अनुसार के उच्चेतिया के उच्चे		भारासीय क्षेत्रों के लिए		अनिधकृत निर्माण का विनियमन—
पुकार प्रभार शुक्ल और जुनांने / संघटन प्रमार / शेर्यं के संघटन प्रमार / शेर्यं के संघटन प्रमार की दरें । 4 (इ) व्यावसायिक मान वर्ष अघतन की गई सम्पत्तियों (इंटिजों और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) हेतु अतिरिक्त एफ.ए.आर. ते दरें । 5 (श) अद्योगित प्लॉटों को छोड़कर) हेतु अतिरिक्त एफ.ए.आर. ते दरें । 6 (छ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रमार । 7 (ज) अत्रेगिक प्रमार । 8 (छ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. के अनुकप, अद्यतन की गई पेड़िजों जोनल औसत नीलामी दर (जैड.ए.ए. आर.) का 50 प्रतिशत निव्यं मी. उत्तरी एवं रोहिणी पर्व द्वारका 20590 / ─रु. च्रिलों एवं द्वारका 20590 / ─रु. च्र्रालों विष्टे व्यारका वे व्यारका 20590 / ─रु. च्र्रालों प्रमार वे च्रालों के लिए मार्चिक वे च्रालों के लिए कोई मी प्रमार के व्यारका वे च्रालों के लिए क्रालें भूति के च्रालें के च्रालें के च्रालें के च्रालें के लिए मार्चिक वे च्रालों के लिए मार्चिक प्रमार चे च्रालों के लिए मार्चिक वे च्रालों के च्रालों के लिए मार्चिक वे च्रालों के लिए मार्चिक वे च्रालों के च्रालें के	- 1	जापाराच प्रभाव /अतिरिक्त		(क) संस्वीकृत ऊँचाई के अंदर अतिरिक्त
श्रीर जुर्गाने/ संघटन प्रमार/ विशेष संघटन प्रमार/ विशेष संघटन प्रमार की वरें । 4 (इ) व्यावसायिक सम्पत्तियां (होटलां और पार्किंग पार्किं	.	मुद्रार प्रचार प्रभार शतक		कवरेज 4020 / -रु.
प्रभार की दरें । (ह) व्यावसायिक मान की लोग के अंदर अतिरिक्त कबरेल 4375/ ─ रु. (१७) 23.07.98 के अनुसार) के अंदर अतिरिक्त कबरेल 4375/ ─ रु. (१७) 23.07.98 के अनुसार) के अंदर अतिरिक्त कबरेल 4375/ ─ रु. (१७) 23.07.98 के अनुसार) अनुमेय ऊँचाई से अधिक लेकिन 15 मी. के अंदर अतिरिक्त एक एक एआर की दरें । (ह) वावसायिक मान जीमा के के 50 प्रतिशत ने नो मान के 50 प्रतिशत एक	- 1	क्षेत्र ज्यानि / संघटन	1 -	(ख) संस्वीकृत से अधिक परंतु अनुमेय
प्रभार की दरें । (ह) व्यावसायिक सम्पतियाँ होटलों और पार्किंग प्लीटेंग को छोड़ कर) हे तु अतिरिक्त एफ ए.आर. की दरें । (ह) व्यावसायिक पार्किंग प्लीटेंग को छोड़ कर) हे तु अतिरिक्त एफ ए.आर. के 50 प्रतिशत एफ ए.आर. के किए अतिरिक्त एफ ए.आर. हे तु अतिरिक्त एफ ए.आर. हे जु अतिरिक्त एफ ए.आर. हे जु अतिरिक्त एफ ए.आर. हे तु अतिरिक्त एफ ए.आर. हे तु अतिरिक्त एफ ए.ज. हे प्रिच्चीं एवं हारका 20590/—रू. नरेला 16249/—रू. नरेला 16249/—रू	- 1	अरि जुनान संघटन		फँचाई (23.07.98 के अनुसार) के अंदर
(ह) व्यावसायिक सम्पत्तियाँ होटलों और पार्किंग प्लॉटों को छोडकर) हेतु अतिरिक्त एफ ए.आर. प्रमार । वर्ष अद्यातम की गई के लिए अतिरिक्त एफ ए.आर. प्रमार । वर्ष अद्यातम की गई के लिए अतिरिक्त एफ ए.आर. प्रमार । वर्ष अद्यातम की गई के लिए अतिरिक्त एफ ए.आर. प्रमार । व्यावसायिक, सम्पत्तियाँ के लिए अतिरिक्त एफ ए.आर. प्रमार । वर्ष जीतिरिक्त एफ ए.आर. प्रमार । वर्ष जीतिरिक्त एफ ए.आर. प्रमार । वर्ष जीतिरिक्त एफ ए.आर. प्रमार अस्पताल निर्धार्ति किया जाना है । वर्ष अतिरिक्त एफ ए.आर. प्रमार अस्पताल निर्धारित किया जाना है । वर्ष अतिरिक्त एफ ए.आर. प्रमार अस्पताल निर्धारित किया जाना है । वर्ष जीतिरिक्त एफ ए.आर. प्रमार अस्पताल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह न संस्थाओं के लिए लागू नहीं है जिन्हें प्रमार संस्तृत नहीं है । उत्तर से प्रमार के सिफारिश नहीं की गई थी और जिनके लिए कोई मी प्रमार संस्तृत नहीं है । वर्ष उपयोग के लाए कार्यिकलापों के लिए प्रमार के लालक परिवर्तन प्रमार वर्षायायिक स्थानियां के उपयोग परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार हैंगे व्यावसायिक से व्यावसायिक दर का वर्ष प्रतिशत पर्वेद प्रमार औद्योगिक दर का व्यावसायिक से वर्तमान औद्योगिक दर का व्यावसायिक रंपिंदिणी पर्व द्वारका 31270/—रू. उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं द्वारका 31270/—रू. उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं द्वारका 31270/—रू. उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी पर्व द्वारका 31270/—रू. उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी पर्व द्वारका 31270/—रू. उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी पर्व द्वारका 31270/—रू. उत्तरी, पूर्वी, पर्विची एवं द्वारका 31270/—रू. उत्तरी, पूर्वी, पर्वेद प्रमार निम्नानुसार होंगे व्यावसायिक दर का व्यावसायिक उत्तर से प्रात्ति पर्वेद प्रमार निम्मानुसार होंगे व्यावसायिक उत्तर से प्रात्ति पर्वेद प्रात्ति पर्वेद प्रात्ति पर्वेद रेष प्रात्ति पर्वेद पर्वेद पर्वेद प्रात्ति पर्वेद पर्व	- 1	प्रभार/विशेष सवटन		अतिरिक्त कवरेज 4375 / -रु.
(इ) व्यावसायिक सम्पतियाँ होटलो और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) हेतु अतिरिक्त के किर । वर्ष अद्यतन की गई जोनल अस्त नीलामी वर के 50 प्रतिशत से । के अदर अतिरिक्त एक ए.आर. के 50 प्रतिशत से । के अतुकर, अद्यतन की गई हो जोला के के 50 प्रतिशत से । के 3625/-रू. नरेला 16249/-रू. ए.आर. अमार । के अनुरूप, अद्यतन की गई विज्ञा हिथ्यी एवं द्वारका 20590/-रू. पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एवं रोहिणी के अनुरूप, अद्यतन की गई पिछली जोनल औसत नीलामी वर (जैड.ए.ए. आर.) का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाना है । विज्ञार अस्पताल एं. ए.आर. प्रमार अस्पताल एं. ए.आर. प्रमार अस्पताल एं. ए.आर. प्रमार अस्पताल एं. पार्टियों के आबंटित की गई जोनल मार्कट वर के 50 प्रतिशत से । यह जन संस्थालयों की अद्यतन की गई जोनल मार्कट वर के 50 प्रतिशत से । यह जन संस्थालयों की अद्यतन की गई जोनल मार्कट वर के 50 प्रतिशत से । यह जन संस्थालयों की अद्यतन की गई जोनल मार्कट वर के 50 प्रतिशत से । यह जन संस्थालयों की तेए लागू नहीं है जिन्हें 1/-रू. की वर से भूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए कोई मी प्रभार संस्तुत नहीं है । वर बांचा निम्मानुसार है— एक कालिक परिवर्तन प्रभार निम्मानुसार होंगे ज्यावसायिक से व्यावसायिक वर्षा वर्षायायिक वर का वर्षा परिवर्तन प्रभार निम्मानुसार होंगे व्यावसायिक से वर्षामा औद्योगिक दर का वर्षायासायिक वर (घर्योग परिवर्तन प्रभार निम्मानुसार होंगे व्यावसायिक के परिवर्तन औद्योगिक दर का वर्षायासायिक वर (घर्योग परिवर्तन प्रभार निम्मानुसार होंगे वर्षायासायिक वर (घर्योग परिवर्तन प्रभार निम्मानुसार होंगे वर्षायायायावसायिक वर (घर्योग परिवर्तन प्रभार निम्मानुसार होंगे वर्षायायावसायिक वर (घर्योग परिवर्तन प्रभार निम्मानुसार होंगे वर्षायायावसायिक वर (घर्योग परिवर्तन प्रभार निम्मानुसार होंगे वर्षायायावसायिक वर (घर्योग परिवर्तन प्रभार निम्मानुसार होंगे वर्षायायायावसायिक वर (घर्योग परिवर्तन प्रभार निम्मानुसार होंगे वर्षायायायायायावसायिक वर (घर्योग परिवर्तन प्रभार निम्मानुसार होंगे वर्षायायायायावसायिक वर (घर्योग परिवर्तन प्रभार निम्मानुसार होंगे वर्षायायायायायायायायायायायायायायायायायायाय	- 1	प्रभार का दर।		(ग) 23.07.98 के अनुसार अनुमय ऊँचाई
(इ) व्यावसायिक सम्पत्तियों होटलों और पार्किंग लोगे हो जोनल औसत नीलाभी वर पार्किंग लोगे हो जोनल औसत नीलाभी वर पत्ति प्रकार की गई जोनल औसत नीलाभी वर पत्ति प्रकार की गई हो जोनल औसत नीलाभी वर पत्ति प्रकार प्रमार । 5 (व) औद्योगिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ ए.आर. प्रमार । 6 (छ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ ए.आर. जार) का 50 प्रतिशत नेवांगि वर (जैड.ए. आर.) का 50 प्रतिशत निवांगि के लिए आरे प्रमार अस्पताल प्रजार प्रमार अस्पताल प्रजार प्रमार अस्पताल प्रमार के अद्यावन की गई सम्पत्तियों की अद्यावन की गई जोनल मार्केट वर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है । वर उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है । वर ढांचा निम्नानुसार है— एक कालिक परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे जोंचोंगिक सं प्रमार औद्यावसायिक वर्तमान औद्योगिक दर का उंधीओंगिक दर का उंधीओंगिक दर का उंप्रोग पर्व द्वारका 29525 / —रु. नरेला 9750 / —रु. नरेला 9950 / —रु. नरेला 9991 / —रु. ये वरं उन संस्थाओं पर लागू नहीं होती है , जिन्हें भूमि प्रमार की सिफारिश नहीं की गई है । वर ढांचा निम्नानुसार है— एक कालिक परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे प्रमार चिम्नानुसार होंगे प्रमार वर्तमान औद्योगिक दर का उंधीओंगिक सं प्रमार वर्तमान औद्योगिक दर का उंधीओंगिक दर का उंधीओं एवं द्वारका 31270 / —रु. उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी 20242 / —रु.	- 1	1	· · ·	से अधिक लेकिन 15 मी, के अंदर
(क्) व्यावसायिक सम्पत्तियाँ (होटलों और पार्किंग प्लीटों के के 50 प्रतिशत से । 54825 / - रु. नरेला 16249 / - रु. रु. आर. प्रमार । व्यावसायिक, सम्पत्तियाँ हेतु अतिरिक्त एफ.एआर. को वरें । व्यावसायिक, सम्पत्तियाँ हेतु अतिरिक्त एफ.एआर. पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एवं रोहिणी महं पिछली जोनल औसत नीलामी दर (जैड.ए.ए.आर. प्रमार । के अनुरूप, अद्यातन की गई पिछली जोनल औसत नीलामी दर (जैड.ए.ए.आर.) का 50 प्रतिशत निचारित किया जाना है । त्रालेश सम्पत्तियाँ और प्राइवेट ए.आर. प्रमार अस्पताल प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रमार अस्पताल प्लॉटों सिहत । विश्वान की गई सम्पत्तियाँ को आबांटित की गई सम्पत्तियाँ के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियाँ की अद्यातन की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/ - रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी, जीनके लिए ऐसे किसी प्रमार की सिफारिश नहीं की गई के लिए लागू नहीं है दर ढांचा निम्नानुसार है – एक कार्लिक परिवर्तन प्रमार संस्तृत नहीं है दर ढांचा निम्नानुसार है – एक कार्लिक परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे जार्यक्तापाँ के लिए मूमि उपयोग के आदायिक दर का परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे व्यावसायिक संस्वायाँ के दर का परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे व्यावसायिक संस्वायाँ के हिए। वर्तमान औद्योगिक दर का परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे व्यावसायिक दर (घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत	- 1			
कि सम्प्रतियाँ (होटलों और पार्किंग एलंटां को छोड़कर) हेतु अतिरिक्त एफ.ए.आर. की दरें । (व) औद्योगिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. पूर्वा, पश्चमी। उत्तरी। एवं दोहिणी के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रमार । (उ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रमार । (उ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. अच्च. को गई पिछली जोनल औसत नीलामी दारा बेची गई लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. अच्च. को जा का अवादित की गई सम्प्रतियों की आवादित की गई सम्प्रतियों के आवादित की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें १/०-रु. की दर से भूमि आवादित की गई थी और जिनके लिए कोई मी प्रमार संस्तृत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए सूमि उपयोग के अद्यावसायिक दर कार्यकसायिक प्रमारच्वर्तामा औद्यावसायिक दर कार्यकसायिक कार्यकलापों के लिए सूमि उपयोग के व्यावसायिक दर कार्यकसायिक प्रमारच्वर्तामा औद्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का युर्वी, पश्चिमी एवं द्वारका 31270/—रु. उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं दोहिणी 20242/—रु.				
पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) हेतु अतिरिक्त एक ए.आर. की दरें । (च) औद्योगिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एक ए.आर. के अनुरूप, अद्यतन की गई पिछली जोनल औसत नीलामी दर (जैड.ए. आर.) का 50 प्रतिशत निर्धार के लिए अतिरिक्त एक. ए.आर. आर.) का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाना है । (छ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एक. ए.आर. अगर उठ प्रतिशत निर्धारित किया जाना है । । (छ) सांस्थानिक प्लॉटों की आवंदित की गई सम्पत्तियों के आवंदित की गई सम्पत्तियों के आवंदित की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है । प्रतार संस्थाति के लिए लागू नहीं है । पर सम्पत्तियों के लिए कोई मी प्रमार संस्तृत नहीं है । दर उच्चा निम्नानुसार है – एक कादिक परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे जायंवसायिक कार्यकलापों के लिए मार्म जो लिए कोई मी प्रमार संस्तृत नहीं है । दर उच्चा निम्नानुसार है – एक कालिक परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे वर्तमान आद्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक से प्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का उप्रयोग एवं द्वारका 31270/—रु. उत्तरी, पूर्वी, पश्चमी एवं रोहिणी 20242/—रु.	4	(इ) व्यावसायिक	गत वर्ष अद्यतन का गई।	मध्य, दावाणा एवं द्वारवण ठठाउठ र
पार्किंग प्लीटों को छोड़कर) हेतु अतिरिक्त एफ.ए.आर. की दरें । 5 (व) औद्योगिक प्लीटों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. हेतु अतिरिक्त एफ.ए.आर. ए.आर. प्रमार । 6 (छ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. आर.) का 50 प्रतिशत नीलामी दर (जैड.ए.ए. आर.) का 50 प्रतिशत नीलामी दर (जैड.ए.ए. आर.) का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाना है । 6 (छ) सांस्थानिक प्लॉटों नीलामी द्वारा बेची गई सम्पत्तियों और प्राइवेट पार्टियों को आबंदित की गई सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों के लिए, नाम् नहीं है, जिन्हें भूमि 1/—रु. की दर से भूमि आबंदित की गई थी, जिनके लिए ऐसे प्रमार संस्तृत नहीं है । 7 (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए माम-वर्तमान व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए माम-वर्तमान व्यावसायिक दर्स-(घटा) तर्तमान औद्योगिक से व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए माम-वर्तमान व्यावसायिक दर—(घटा) तर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत	1	सम्पत्तियों (होटलों और	जोनल औसत नीलामी दर	
छोड़कर) हेतु अतिरिक्त एफ.ए.आर. की दरें । (व) औद्योगिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रमार । हेतु अतिरिक्त एफ.ए.आर. के अनुरूप, अद्यंतन की गई पिछली जोनल औसत नीलामी दर (जैड.ए.ए. आर.) का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाना है । (छ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रमार अस्पताल प्लॉटों सहित । (छ) सांस्थानिक प्लॉटों को आबंगिटत की गई सम्पत्तियों के आवंगिटत की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आवंटित की गई थी और जिनके लिए कोई मी प्रमार संस्तृत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए मूमि उपयोग के अद्यात्म पे के अद्यात्म पे के विष्ण मार्केट वर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आवंटित की गई थी और जिनके लिए कोई मी प्रमार संस्तृत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए मूमि उपयोग के अद्यात्म पे के अद्योग परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे वर्तमान औद्योगिक से से व्यावसायिक दर-(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का उपर्येश, पूर्वी, पश्चमी एवं रोहिणी 20242/-रु.	1	पार्किंग प्लॉटों को	के 50 प्रतिशत से ।	
प्रक.ए.आर. की दरें । (च) औद्योगिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. ए.आर. प्रमार । के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रमार । के अनुरूप, अदातन की गई पिछली जोनल औसत नीलामी दर (जैड.ए.ए. आर.) का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाना है । (छ) सांस्थानिक प्लॉटों नीलामी द्वारा बेची गई के लिए अतिरिक्त एफ. पार्टियों को आबंदित की गई सम्पत्तियों और प्राइवेट पार्टियों को आबंदित की गई सम्पत्तियों के लाए, सांस्थानिक सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों के अदातन की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें भूमि 1/—रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी, जीनके लिए ऐसे मिम प्रमार संस्तुत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए प्रमार=वर्तमान व्यावसायिक दर (घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का उप्रयोग एवं द्वारका 31270/—रु. चत्ती, पूर्वी, पश्चिमी एवं द्वारका 31270/—रु. चत्ती, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का उप्रयोग एवं रोहिणी एवं द्वारका 31270/—रु. चत्ती, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी एवं द्वारका 31270/—रु. चत्ती, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी एवं द्वारका 31270/—रु. चत्ती, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी था व्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का उप्रयोग एवं रोहिणी एवं द्वारका 31270/—रु. चत्ती, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी था व्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का उप्रयोग परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे च्यावसायिक वर का उप्रयोग एवं रोहिणी था व्यावसायिक वर का उप्रयोग परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे च्यावसायिक वर का उप्रयोग एवं रोहिणी था व्यावसायिक वर का उप्रयोग परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे च्यावसायिक वर का अधिता का उपर्योग परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे च्यावसायिक वर का उपर्योग परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे च्यावसायिक वर व्यावसायिक वर का उपर्योग परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे च्यावसायिक वर व्यावसायिक वर का उपर्यावसायिक वर का उपर्यावसायिक वर का उपर्यावसायिक वर व्यावसायिक वर व्यावसायिक वर का उपर्यावसायिक वर का उपर्यावसायिक वर का उपर्यावसायिक वर का उपर्यावसायिक वर	1			नरेला 16249 / - र ु.
विश्व औद्योगिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. हे जु अतिरिक्त एफ. ए.आर. ए.आर. प्रमार । के अनुरूप, अद्यान की गई पिछली जोनल औसत नीलामी दर (जैड.ए.ए.आर.) का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाना है । नीलामी द्वारा बेची गई सम्पतियों और प्राइवेट ए.आर. प्रमार अस्पताल पार्टिस के लाए अतिरिक्त एफ. पार्टिसों को आबंदित की गई सम्पतियों के लाए सांस्थानिक सम्पतियों के लाए सांस्थानों के लिए लागू नहीं है, जिन्हें भूमि 1/—रु. की दर से भूमि आबंदित की गई थी और जिनके लिए ऐसे किसी प्रमार की सिफारिश नहीं की गई है । किसी प्रमार संस्तुत नहीं है दर ढांचा निम्नानुसार है—एक कालिक परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे कार्यकलापों के लिए स्मार-वर्तमान व्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत	1	एक ए आरुकी दुरें।	•	
के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रमार । के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. अचान की गई पिछली जोनल औसत नीलामी दर (जैड.ए.ए. आर.) का 50 प्रतिशत किया जाना है । के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रमार अस्पताल फॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. पार्टियों को आबंदित की गई मम्पतियों और प्राइवेट पार्टियों को आबंदित की गई मम्पतियों के लिए. सांस्थानिक सम्पत्तियों के अद्यतन की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत के लिए लागू नहीं है, जिन्हें भूम । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/—रु. की दर से भूमि आबंदित की गई थी, जिनके लिए ऐसे मूमि आबंदित की गई थी, जीनके लिए ऐसे प्रमार संस्तुत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए प्रमार=वर्तमान व्यावसायिक से प्रयोग के लिए मूमि उपयोग के अद्योग को लीट वर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत	1	(च) औरोपिक प्र्यांने	व्यावसारिक सस्पत्तियों	दक्षिणी एवं द्वारका 20590 / -रु.
ए.आर. प्रमार । के अनुरूप, अद्यतन की गई पिछली जोनल औसत नीलामी दर (जैंडए.ए. आर.) का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाना है । (छ) सांस्थानिक प्लॉटों नीलामी द्वारा बेची गई लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रमार अस्पताल पार्टियों को आबांटित की गई जानल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/—रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी, जीर जिनके लिए कोई मी प्रभार संस्तुत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए मार्में उपयोग के लिए मार्में उपयोग के अद्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत के अनुरूप, अदातन की निर्द पिछली जोनल औसत नीलामी दर का विष्ण एवं द्वारका 29525/—रु. उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी 13008/—रु. नरेला 9691/—रु. ये दरें उन संस्थाओं पर लागू नहीं होती है, जिन्हें भूमि 1/—रु. की दर से आबंटित की गई थी, जिनके लिए ऐसे किसी प्रमार की सिफारिश नहीं की गई है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक वर्षावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत	5		चेन अभिन्न ग्रहमाश्री	
गई पिछली जोनल औसत नीलामी दर (जैड.ए.ए. आर.) का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाना है । (छ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रमार अस्पताल फ्लॉटों सिहत । के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रमार अस्पताल फ्लॉटों सिहत । मार्केट दर के 50 प्रतिशत मार्केट दर के 10 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें भूम 1/-रु. की दर से आबंटित की गई थी, जिनके लिए ऐसे मूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए कोई मी प्रमार संस्तुत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए मूमि उपयोग के 'जौद्योगिक' से 'व्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का '2014/-रु. उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी एवं द्वारका 31270/-रु. उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी 20242/-रु.	1	1	हतु आतारक्त एफ.ए.आर.	4044 / 35
नीलामी दर (जैड.ए.ए.) आर.) का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाना है जिलामी द्वारा बेची गई के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रमार अस्पताल एनंटों सहित । नीलामी द्वारा बेची गई सम्पत्तियों और प्राइवेट पार्टियों को आबांटित की गई जानल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं होती के लिए लागू नहीं है जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि 1/-रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी, जिनके लिए ऐसे मेमूम आबंटित की गई थी प्रमार की सिफारिश नहीं की गई है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए प्रमार नेन्द्रानान मार्केट दर ढांचा निम्नानुसार है- एक कालिक परिवर्तन प्रमार निम्नानुसार होंगे वर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं द्वारका 31270/-रु. उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी 20242/-रु.	1	ए.आर. प्रभार ।	क अनुरूप, अद्यतन का	14341/-0.
(छ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आरं. प्रमार अस्पताल प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आरं. प्रमार अस्पताल प्लॉटों सिहत । (छ) सांस्थानिक प्लॉटों को आबंदित की पर्टियों को आबंदित की गई सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंदित की गई थी और जिनके लिए कोई मी प्रमार संस्तुत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए प्रभार=वर्तमान कार्यकलापों के लिए प्रभार=वर्तमान व्यावसायिक दर-(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत	1	1		नरला 9750 / - ७.
(छ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आरं. प्रमार अस्पताल प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आरं. प्रमार अस्पताल प्लॉटों सिहत । (छ) सांस्थानिक प्लॉटों को आबंदित की पर्टियों को आबंदित की गई सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंदित की गई थी और जिनके लिए कोई मी प्रमार संस्तुत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए प्रभार=वर्तमान कार्यकलापों के लिए प्रभार=वर्तमान व्यावसायिक दर-(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत	ı		नीलामी दर (जैड.ए.ए.	
निर्धारित किया जाना है	'	·	आर) का 50 प्रतिशत	
(छ) सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रभार अस्पताल प्लॉटों सम्पत्तियों और प्राइवेट पार्टियों को आबंटित की गई सम्पत्तियों के लाए, सांस्थानिक सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों के लाए, सांस्थानिक सम्पत्तियों की अद्यंतन की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी, जिनके लिए ऐसे किसी प्रभार की सिफारिश नहीं की गई है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए प्रभार संस्तुत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए प्रभार संस्तुत नहीं है । वर्ष उपयोग के लालक परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार होंगे वर्तमान व्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत			निर्धारित कियां जाना है	
के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रमार अस्पताल ए.आर. प्रमार अस्पताल पार्टियों को आबांटित की गई सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों की अद्यतन की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए लोगू नहीं है । जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए कोई मी प्रभार संस्तुत नहीं है । दर ढांचा निम्नानुसार है- व्यावसायिक एक कालिक परिवर्तन कार्यकलापों के लिए प्रभार=वर्तमान व्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत			Hallett Havai on it e	
के लिए अतिरिक्त एफ. ए.आर. प्रमार अस्पताल ए.आर. प्रमार अस्पताल पार्टियों को आबांटित की गई सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों की अद्यतन की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए लोगू नहीं है । जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए कोई मी प्रभार संस्तुत नहीं है । दर ढांचा निम्नानुसार है- व्यावसायिक एक कालिक परिवर्तन कार्यकलापों के लिए प्रभार=वर्तमान व्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत	L			चिक्सी गर्व जाउँका २०६२६ /⊸फ
प्र.आर. प्रभार अस्पताल प्लॉटों को आबंटित की गई सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों की अद्यंतन की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए कोई भी प्रभार संस्तुत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए मूमि उपयोग के खावसायिक दर-(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का खावसायिक 25 प्रतिशत 25 प्रतिशत 25 प्रतिशत 25 प्रतिशत 20242/-रु.	6			CIRIOI (d Elda) 59552\ -6
प्रआरं. प्रभार अस्पताल प्लॉटों को आबंदित की गई सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों की अद्यंतन की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें भूमि 1/-रु. की दर से आबंदित की गई थी, जिनके लिए ऐसे किसी प्रभार की सिफारिश नहीं की गई है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए मूमि उपयोग के 'अद्योवसायिक' परिवर्तन औद्योगिक दर का 'व्यावसायिक' परिवर्तन औद्योगिक दर का 'व्यावसायिक' वर्तमान अद्योगिक दर का 'व्यावसायिक' वर्तमान अद्यावसायिक' परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार होंगे च्यावसायिक' वर्तमान व्यावसायिक दर का 'व्यावसायिक' वर्तमान अद्योगिक दर का 'व्यावसायिक' वर्ष हो प्रतिशत		के लिए अतिरिक्त एफ.		
प्लॉटों सिहत । गई सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों की अद्यतन की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी, जिनके लिए ऐसे मूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए कोई मी प्रभार संस्तुत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सिहत व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए मूमि उपयोग के लिए मूमि उपयोग के व्यावसायिक दर—(घटा) उर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत	1	ए आरं प्रभार अस्पताल	पार्टियों को आबाटित की	13008 / 一▼.
सांस्थानिक सम्पत्तियों की अद्यंतन की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें भूमि 1/-रु. की दर से आबंटित की गई थी, जिनके लिए ऐसे किसी प्रभार की सिफारिश नहीं की गई है । जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए कोई भी प्रभार संस्तुत नहीं है । दर ढांचा निम्नानुसार है— वर्ष 2007-08 के लिए निर्मित क्षेत्र के उपयोग परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार होंगे कार्यकलापों के लिए प्रभार=वर्तमान व्यावसायिक दर-(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का खात्रसायिक दें प्रतिशत चें उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी 20242/-रु.	1		गर्ड सम्पत्तियों के लिए.	नरेला 9691 / - रु.
अद्यतन की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी। किसी प्रमार की सिफारिश नहीं की गई है । (ज) बँक्वेट हाल सहित वर ढांचा निम्नानुसार है— वर्ष 2007—08 के लिए निर्मित क्षेत्र के उपयोग परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार होंगे कार्यकलापों के लिए प्रमार चर्तमान व्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का व्यावसायिक' 25 प्रतिशत	1	Circi died i		ये दरें उन संस्थाओं पर लाग नहीं होती
मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए कोई मी प्रभार संस्तुत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए भूमि उपयोग के 'आर्थानसायिक दर-(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का 'व्यावसायिक' 25 प्रतिशत	1	1		
से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है । किसी प्रमार की सिफारिश नहीं की गई किसी प्रमार की सिफारिश नहीं की गई किसी प्रमार की सिफारिश नहीं की गई कै । किसी प्रमार की सिफारिश नहीं की गई किसी प्रमार की सिफारिश नहीं की प्रमार की प्रमार की सिफारिश नहीं की प्रमार	l		अध्यान का गई जानल	6, 101-6 414 17 -0. 471 47 47
के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए कोई भी प्रभार संस्तुत नहीं है । 7 (ज) बँक्वेट हाल सहित वर ढांचा निम्नानुसार है— एक कालिक परिवर्तन कार्यकलापों के लिए प्रभार=वर्तमान क्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का व्यावसायिक दर का वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान के वर्तमान के वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान के वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान के वर्तमान के वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान के वर्तमान के वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान के वर्त	1		मार्केट दर के 50 प्रांतशत	आबाटत का गई था, जिनक लिए एस
के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए कोई भी प्रभार संस्तुत नहीं है । 7 (ज) बँक्वेट हाल सहित वर ढांचा निम्नानुसार है— एक कालिक परिवर्तन कार्यकलापों के लिए प्रभार=वर्तमान क्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का व्यावसायिक दर का वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान के वर्तमान के वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान के वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान के वर्तमान के वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान के वर्तमान के वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान के वर्त		,	से । यह उन संस्थाओं	किसी प्रभार की सिफारिश नहीं की गई
जिन्हें 1/-रु. की दर से भूमि आबंदित की गई थी और जिनके लिए कोई भी प्रभार संस्तुत नहीं है । 7 (ज) बँक्वेट हाल सहित दर ढांचा निम्नानुसार है— वर्ष 2007—08 के लिए निर्मित क्षेत्र के खावसायिक एक कालिक परिवर्तन ज्यावसायिक कार्यकलापों के लिए प्रभार=वर्तमान व्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी व्यावसायिक' 25 प्रतिशत			के लिए लाग नहीं है.	है।
भूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए कोई भी प्रभार संस्तुत नहीं है । 7 (ज) बैंक्वेट हाल सहित दर ढांचा निम्नानुसार है— व्यावसायिक एक कालिक परिवर्तन उपयोग परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार होंगे कार्यकलापों के लिए भूमि उपयोग के व्यावसायिक दर—(घटा) 'औद्योगिक' से वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान औद्योगिक दर का उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी 20242/—रु.			िन्नें ४ क की उस से	
और जिनके लिए कोई भी प्रभार संस्तुत नहीं है । 7 (ज) बँक्वेट हाल सहित दर ढांचा निम्नानुसार है— वर्ष 2007—08 के लिए निर्मित क्षेत्र के उपयोग परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार होंगे कार्यकलापों के लिए भूमि उपयोग के व्यावसायिक दर—(घटा) 'औद्योगिक' से वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान औद्योगिक दर का 20242/—रु.		l	17-6, 41 46 4	
प्रभार संस्तुत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित दर ढांचा निम्नानुसार है— वर्ष 2007—08 के लिए निर्मित क्षेत्र के खावसायिक एक कालिक परिवर्तन ज्यांग परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार होंगे प्रभार=वर्तमान खावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का खावसायिक वर्ष का खावसायिक खावसायि				
प्रभार संस्तुत नहीं है । (ज) बैंक्वेट हाल सहित दर ढांचा निम्नानुसार है— वर्ष 2007—08 के लिए निर्मित क्षेत्र के खावसायिक एक कालिक परिवर्तन ज्यांग परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार होंगे प्रभार=वर्तमान खावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का खावसायिक वर्ष का खावसायिक खावसायि			और जिनके लिए कोई मैं	1
(ज) बँक्वेट हाल सहित दर ढांचा निम्नानुसार है— वर्ष 2007—08 के लिए निर्मित क्षेत्र के व्यावसायिक एक कालिक परिवर्तन प्रथा परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार होंगे जर्मकलापों के लिए प्रभार=वर्तमान व्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर का व्यावसायिक (वर्ष रोहिणी वर्ष सार्थ) वर्तमान औद्योगिक दर का वर्त्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी 20242/—रु.				
व्यावसायिक एक कालिक परिवर्तन उपयोग परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार होंगे जग्र्यकलापों के लिए प्रभार=वर्तमान प्रभार वर्तमान व्यावसायिक दर—(घटा) वर्तमान औद्योगिक से वर्तमान औद्योगिक दर का व्यावसायिक 25 प्रतिशत उपयोग परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार होंगे ज्यावसायिक वर्तमान अद्यावसायिक वर्तमान औद्योगिक दर का वर्त्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी 20242/—रु.				च्ये ०००३ ०० के किए विभिन्न भेत्र के
कार्यकलापों के लिए प्रभार=वर्तमान मध्य, दक्षिणी एवं द्वारका 31270 / -रु. वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत 20242 / -रु.	7			विष २००७०४ के लिए गिनिस बात्र के
कार्यकलापों के लिए प्रभार=वर्तमान मध्य, दक्षिणी एवं द्वारका 31270 / -रु. वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान औद्योगिक दर का वर्तमान औद्योगिक दर का 25 प्रतिशत 20242 / -रु.		व्यावसायिक	एक कालिक परिवर्तन	न उपयोग परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार होग
भूमि उपयोग के व्यावसायिक दर—(घटा) मध्य, दक्षिणी एवं द्वारका 31270 / —रु. 'औद्योगिक' से वर्तमान औद्योगिक दर का उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी 20242 / —रु.			• •	_
'औद्योगिक' से वर्तमान औद्योगिक दर का उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी 'व्यावसायिक' 25 प्रतिशत 20242 / —रु.				क्रम जिल्ली गर्न जनका २४२७० / - क
'व्यावसायिक' 25 प्रतिशत 20242 / - रु.			व्यावसायिक दर-(घटा) 484, दाक्षणा एवं हारका 31270/ -र.
'व्यावसायिक' 25 प्रतिशत 20242 / - रु.		'औद्योगिक' से	वर्तमान औद्योगिक दर क	न उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी
		·		
कायकलापा न पारवतन नरला उट्टा नरला उट्टा नरला उट्टा			ZO NINTIN	
		कायकलापा म पारवतन		नरला 3250/ -र.

ये दरें केन्द्र सरकार के अनुमोदन से आगे संशोधित/अधिसूचित किये जाने तक लागू रहेंगी ।

[सं. फा. 20(4)05/एम.पी./पार्ट-॥/पार्ट]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2008

Fixation of rates to be applied for use conversion, mixed land use and other charges for enhanced FAR arising out of MPD 2021

S.O. 2955(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations in pursuance to Notification No. S.O. 2432(E) dated 10th October, 2008:

S.No.	Item	Recommendation of the Ministry	Rates worked out on the basis of the recommendations of the Ministry.(Rates in Rs. Per sqm)
1.	(a): Residential properties including for basement under Mixed Use – rates of payment of betterment levy/additional FAR charges for new construction and penalty/compounding/special compounding charges for regularization of unauthorized construction	As per notification of 20.11.06 which was applicable for 2006-07 to be made applicable for 2007-08.	The following rates as per notification dt.20.11.2006 which was applicable for 2006-07 to be made applicable for 2007-08, the same are as under: (**) New Construction: A & B colonies Rs.3500/- C & D colonies Rs. 1400/- E,F & G colonies with plot size more than 50 sqm Rs. 700/- E,F & G colonies with plot size upto 50 sqm Rs. 490/- (2)Regularization of unauthorized construction: (a)Additional Coverage within sanctioned height. A & B colonies Rs.4020/- C & D colonies Rs. 1610/- E,F & G colonies with plot

size more than 50 sqm Rs. 805/- E,F & G colonies with plot size upto 50 sqm Rs.564/ (b)Additional Coverage above sanctioned but within permissible height (as per 23.7.98) A & B colonies Rs.4375/- C & D colonies Rs. 1750/- E,F & G colonies with plot size more than 50 sqm Rs.875/-
size upto 50 sqm Rs.564/ (b)Additional Coverage above sanctioned but within permissible height (as per 23.7.98) A & B colonies Rs.4375/- C & D colonies Rs. 1750/- E,F & G colonies with plot size more than 50 sqm Rs.875/-
(b)Additional Coverage above sanctioned but within permissible height (as per 23.7.98) A & B colonies Rs.4375/- C & D colonies Rs. 1750/- E,F & G colonies with plot size more than 50 sqm Rs.875/-
sanctioned but within permissible helght (as per 23.7.98) A & B colonies Rs.4375/- C & D colonies Rs. 1750/- E,F & G colonies with plot size more than 50 sqm Rs.875/-
permissible height (as per 23.7.98) A & B colonies Rs.4375/- C & D colonies Rs. 1750/- E,F & G colonies with plot size more than 50 sqm Rs.875/-
height (as per 23.7.98) A & B colonies Rs.4375/- C & D colonies Rs. 1750/- E,F & G colonies with plot size more than 50 sqm Rs.875/-
A & B colonies Rs.4375/- C & D colonies Rs. 1750/- E,F & G colonies with plot size more than 50 sqm Rs.875/-
C & D colonies Rs. 1750/- E,F & G colonies with plot size more than 50 sqm Rs.875/-
E,F & G colonies with plot size more than 50 sqm Rs.875/-
size more than 50 sqm Rs.875/-
E,F & G colonies with plot
size upto 50 sqm Rs.613/-
(c) Additional Coverage beyond
permissible height as per
23.07.98 but within 15 metres .
A & B colonies Rs.4900/-
C & D colonies Rs. 1960/-
E,F & G colonies with plot
size more than 50 sqm Rs.980/-
E,F & G colonies with plot
size upto 50 sqm Rs.686/-
b): Residential properties The charges to The rates for additional coverage
including for basement under remain the same above sanctioned but within
Mixed Use as notified for the permissible height(as per 23.7.98) –
floors above the use of basement for professional
basement. /commercial activities leading to
excess permissible area on the plot:
E,F&G colonies (for plots
more than 50 sqm) Rs.875/-
E,F&G colonies (for plots
upto 50 sqm) Rs.613/
The applicant is liable to pay mixed
land use charges in addition to FAR
charges.
2. (c): Additional FAR charges To be at par with Same rates for 2006-07 & 2007-08 a
for Cooperative Group rates for given in S.No.1 above.
Housing Societies allotted by residential
properties direct
para 5.2 of
notification dt.
20.11.06 both for
2006-07 and
2007-08.

498251108-2

3.	(d): Rates for betterment/levy additional FAR charges and penalty/compounding charges/special compounding charges for NDMC residential areas	At par with the rate of 'A' category of MCD colonies.	(1) New Construction: Rs.3500/- (2) Regularization of
4.	(e): Rates for additional FAR for commercial properties (excluding hotel and parking plots)	50% of the updated last year zonal average auction rate.	Central, South & Dwarka Rs.83130/- North, East, West & Rohini Rs.54825/- Narela Rs.16249/-
5.	(f) Additional FAR charges for industrial plots	To be determined as 50% of the updated previous ZAAR on the lines of addl. FAR charges for commercial properties.	South & Dwarka Rs.20590/- East, West, North & Rohini Rs.14341/- Narela Rs. 9750/-
6.	(g) Additional FAR charges for Institutional Plots i.e. including hospital plots.	@ 50% of the updated zonal market rate of institutional properties for	South & Dwarka Rs. 29525/- North, East, West & Rohini Rs.13008/- Narela Rs. 9691/-
		those disposed by auction as well as for those properties which were allotted to private parties.	This is not applicable to those institutions which were allotted land @ Re.1/- for whom no such charge is recommended.
		This is not applicable to those institutions	
		which were allotted land @ Re.1/- for whom no such charges is recommended.	
7.	(h): Use conversion charges for change of land use from 'industrial' to 'commercial' for commercial activities including Banquet Halls	Rate structure given as follows; One time conversion charge =25% of (present commercial rate minus present	North, East, West & Rs. 20242/-
· · · · ·		industrial rate)	Narela Rs. 3250/-

[No. F. 20(4)05/MP/Pt.-II/Pt.] V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.